घरेलू–हिंसा और कोविड–19: चर्च कैसी प्रतिक्रिया दे

मैंडी मार्शल

एंग्लिकन कंसल्टेटिव कौंसिल एवं एंग्लिकन अलायन्स के संयुक्त प्रयास द्वारा प्रस्तुत

ANGLICAN ALLIANCE
Development · Relief · Advocacy

ANGLICAN COMMUNION
IN OVER 165 COUNTRIES

प्रस्तावना

कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान विश्व के कई देशो में घरेलू-हिंसा के मामलों एवं राष्ट्रीय हेल्प लाइनों में मदद मांगनेवाले पुरुष एवं महिला पीड़ितों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है।

घरेलू–हिंसा हमारे समाज व चर्चों में छिपी एक विकट समस्या है जिसे हम न तो गंभीरता से लेते हैं और न ही इसका विरोध करते हैं।

घरेलू–हिंसा पाप है और यह पीड़ित को आजीवन कष्ट पंहुचा सकती है।

मसीही होने के नाते हमें परमेश्वर से ही नहीं वरन लोगों से भी प्रेम रखना है, और उनकी देखरेख करनी है; अर्थात हमें एक दूसरे के प्रति ज़िम्मेदार होना है और अन्याय का विरोध करना है।

एंग्लिकन कंसल्टेटिव कौंसिल 15:7 और 16:3 को याद करते हुए, जो हमें घरेलू–हिंसा और लिंग विशेष के प्रति होनेवाली हिंसा के विरोध में उठने को प्रोत्साहित करती है, यह सामग्री मैं आप सबको समर्पित करता हूँ ताकि इससे सम्बल होकर आप एक ऐसे समय में घरेलू–हिंसा के विरुद्ध खड़े हो सके जबकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रुरत है।

मो. रेव्ह.
डा॰ जोसायह ईडोवो –फेरों

एंग्लिकन कम्युनियन के महासचिव

परिचय

विश्व भर के समुदाय कोविड–19 के दुष्प्रभाव को झेल रहे हैं। सरकारें इसकी रोकथान हेतु तरह–तरह के उपाय करने में जुटी हैं। इनमें से कुछ एक उपाय, जैसे कि घर से बाहर निकलने की पाबंदी, के चलते घरेलू हिंसा व लिंग विशेष के प्रति होनेवाली हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है।

विश्व के कई देशों में घरेलू–उत्पीड़न हेल्पलाइनो में दर्ज कराई जानेवाली शिकायतों में तेज़ी से वृद्धि आई है। इसका कारण महामारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गए उपाय नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो इन उपायों से पैदा हुई स्थिति का लाभ उठा कर उत्पीड़न करते हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है क्योकिं पीड़ित व्यक्ति न तो किसी से मदद मांग पाते हैं और न ही स्वयं को उस माहौल से निकाल पाते हैं। डर, तनाव और पैसों के अभाव से स्थिति और भी बदतर हो जाती है और पीड़ित के लिए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना लगभग असम्भव हो जाता है।

अपने समुदायों में चर्च इस प्रकार स्थापित हैं कि इनके लिए ज्योति और आश्रय का स्रोत बन सकें, और उन लोगों तक भी पहुँच सकें जिन तक पहुंचना सरकार के लिए भी असंभव है। हमारी मसीही बुलाहट कहती है कि हम भी लोगों से ठीक वैसा ही प्रेम करें जैसा कि मसीह ने हमसे किया, और उन्हें अपनी देह और लहू से दूर न करें। घरेलू–हिंसा के विरुद्ध आदर्श रीति से कार्यवाही करने में यह आलेख चर्च के अगुओं और अन्य विश्वासियों का पथप्रदर्शन करेगा।

हिंसा का सामना करने और स्वयं मदद मांग पाने की मौजूदा क्षमता को बरकरार रखते हुए, सर्वाइवर के साथ "चार–कदम" एप्रोच फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जाता है। ये "चार–कदम" हैं : घरेलू–हिंसा को पहचानना, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देना, उसके विषय में किसी को सूचित करना और पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड रखना। "सात–कदम" एप्रोच का प्रयोग उत्पीड़कों (दोषियों) के साथ किया जाता है जिसका उद्देश्य स्वयं को उत्पीड़न करने से रोकने व अपने कामों के प्रति ज़िम्मेदार बनने में उनकी मदद करना है। ये सात–कदम हैं –उत्पीड़न को पहचानना, अपने किये का पश्चाताप करना, स्वयं को उन सभी परिस्थितियों से हटा लेना जो उत्पीड़न को जन्म दे सकती हैं, उत्पीड़न के पश्चात की कार्यवाही के लिए किसी को सूचित करना, उत्पीड़न से हुए नुकसान की यथासंभव क्षतिपूर्ति करना, प्रकरण का रिकॉर्ड रखना और अंत में है सभी बातों का पुनरावलोकन करना। घरेलू–हिंसा और इसकी व्यापकता के परिचय के बाद, इस गाइड में उन व्यावहारिक कदमों की जानकारी है जिन्हे हम सब उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत पुरुषों की सहभागिता को प्रोत्साहन देना और बदलाव के लिए आवाज़ उठाना जैसे कदम शामिल है। इसके विरुद्ध प्रार्थना भी एक उपाय है, लेकिन हम जानते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को केवल प्रार्थना ही नहीं वरन व्यावहारिक स्तर पर भी सहायता व सहारे की ज़रुरत होती है।

घरेलू–हिंसा की व्यापकता के वर्तमान स्वरुप को ध्यान में रखते हुए, इस पूरे आलेख या दस्तावेज़ में उत्पीड़क के लिए पुल्लिंग व पीड़ित के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। घरेलू–हिंसा के विरुद्ध कार्यवाही की आदर्श–रीति के जिन सिद्धांतों का उल्लेख इस आलेख या दस्तावेज़ में हैं, वे सभी पुरुष पीड़ितों पर भी लागू होती हैं क्योकिं यह स्वीकारना बहुत ज़रूरी है कि पुरुष भी घरेलू–हिंसा का शिकार होते हैं; हमें उनके लिए भी सजग रहना है ताकि पुरुष पीड़ितों को भी मदद मिल सके। वर्तमान परिस्थिति में उत्पीड़न का विरोध कर विजयी होने, उत्पीड़न करनेवाले जीवन–साथी को छोड़ कर हिंसा से मुक्त होने का जो साहस महिलाओं में होता हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस आलेख में उनके लिए हम 'पीड़िता' नहीं बल्कि 'सर्वाइवर' शब्द का प्रयोग करेंगे।

कोविड-19

कोविड-19 संक्रमण के कारण पूरा विश्व एक अभूतपूर्व समय से गुज़र रहा है और इस महामारी की रोकथाम के लिए सभी देश तरह-तरह के उपाय कर रहे हैं ।

इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं : एक–दूसरे से दूरी बनाना, घरों में बंद रहना, आँख–मुँह ढकना, लॉकडाउन लागू करना, आने–जाने पर नियंत्रण के आदेश जारी करना, घर से बाहर न निकलने के कड़े नोटिस देना, सर्किट ब्रेकर की योजना, दुकानों व अन्य ज़रूरी सेवाओं का एक सीमित समय के लिए खुलना व बंद होना।

परिणावस्वरूप सामान्य जीवन में कई पाबंदियां लग गयी हैं और समुदायों के भीतर व उनके बीच की आपसी असमानताएं पहले से कई गुणा बढ़ गयी हैं। इससे भोजन, आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य व अन्य सामजिक सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य मूलभूत अधिकारों पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से समाज के उन लोगों के लिए जो पहले से शोषणीय स्थिति में थें।

कोविड–19 पर अधिक जानकारी के लिए कृपया एंग्लिकन अलायन्स के कोविड–19 के रिसोर्स हब पर "नोइंग द फैक्ट्स" पर जाएँ *anglicanalliance.org/covid-19-knowingthe-facts.*

विषमताओं से भरा संसार

वचन, परमेश्वर व मनुष्य की; उनके आपसी सम्बन्ध अथवा इस समबन्ध की अभिलाषा की कहानी है, अर्थात परमेश्वर द्वारा हमसे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बड़ी कीमत को देने; हमारे भीतर परमेश्वर व एक-दूसरे से जुडने की अभिलाषा की कहानी है।

मानव–जीवन की समृद्धि के लिए –बहुतायती के उस जीवन के लिए जो परमेश्वर अपनी सभी सन्तानो को देना चाहता है – सम्बन्ध बहुत बुनियादी होते हैं। लेकिन हमारे चर्च और विश्व का कोई भी समाज इसे पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। एक दूसरे प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा रवैया, हमारी सोंच, हमारी स्टीरियोटाइप धारणाएं, पूर्वाग्रह, और अपेक्षाएं आदि उत्पीड़न को जन्म दे सकती हैं, और उन लोगों पर ज़रुरत से अधिक दबाव डाल सकती हैं जो पहले से ही कमज़ोर और शोषणीय स्थिति में हैं।

स्त्री और पुरुष के बीच अधिकारों की विषमता व स्टीरियोटाइप–सोंच बहुत ही हानिकारक होती है; चाहे ये विषमता और स्टीरियोटाइप–सोंच लोगों में हों या हमारे समाज, संस्कृति, चर्चों या क़ानून में। महिलाएं /लडकियां तथा पुरुष/ लड़के हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण या वचन की गलत समझ का शिकार हो सकते हैं जो दूसरो को अपने अधिकार में रखने या उनके उत्पीड़न का कारण बन सकता है। समाज में फैली इस विषमता के दुष्परिणाम अकसर लड़कियों व महिलाओं को भोगने पड़ते हैं।

पुरुषों व महिलाओं; लड़कों व लड़कियों के बीच अधिकारों की यह असमानता ही लिंग विशेष के प्रति होनेवाली हिंसा का बुनियादी कारण है। महामारी, युद्ध और राजनैतिक अशांति के समय जब विषमता के सांस्कृतिक मानदंड खुल के बाहर आ जाते हैं और शक्ति के दुरुपयोग व दूसरे व्यक्ति को अपने अधिकार में करने के लिए इनका प्रयोग होने लगता है तो यह हिंसा और तेज़ हो जाती है।

उत्पीड़न के विषय में बाइबिल क्या कहती है ?

परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर है और उसने समस्त मानवजाति को एक-दूसरे के साथ प्रेमपूर्ण सम्बन्ध बना कर जीवनयापन करने की बुलाहट दी है। इसके बावजूद हमारे समाज में हिंसा और उत्पीड़न, दोनों हैं। बाइबिल इस बात को स्वीकारती है और हमारे अनुभवों को प्रतिबिंबित करती है। दुःख की बात है कि हिंसा और उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति कभी भी हो सकता है। हिंसा और उत्पीड़न व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाते हैं और व्यक्ति को पूरी तरह से तोड़ कर उन्हें भरपूरी के उस जीवन से वंचित रखते है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें रचा है। इसके दुष्परिणाम जीवन भर भुगतने पड़ सकते हैं।

परमेश्वर इन विकट समस्याओं की उपेक्षा नहीं करता।

2 शमूएल 13 में हम एक राजकुमारी, दाऊद की 'तामार' नामक बेटी, के बलात्कार के विषय में पढ़ते हैं जिसकी अस्मिता पर स्वयं उसके अपने भाई अम्नोन ने हाथ डाला था। तामार के साथ हुई इस हिंसा के बहुत ही गंभीर परिणाम हुए । बलात्कार के पश्चात उसका जीवन बर्बाद हो गया और वह जीवन भर अकेली रही। यीशु हिंसा, उत्पीड़न और पीड़ित पर इनके दुष्परिणामों से घृणा करता है। ये सब एक पाप हैं।

परमेश्वर के अनुसार पत्नी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी जानकारी हमें मलाकी 2:14 में मिलती है। लिखा है कि "हमारी भेंट यहोवा द्वारा स्वीकार क्यों नहीं की जातीं" क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे किये बुरे कामों को देखा, वह तुम्हारे विरुद्ध साक्षी है। उसने देखा कि तुम अपनी पत्नी को ठगते हो। तुम उस स्त्री के साथ तबसे विवाहित हो जबसे तुम जवान हुए थे। वह तुम्हारी प्रेयसी थी। तब तुमने परस्पर प्रतिज्ञा की और वह तुम्हारी पत्नी हो गई। किन्तु तुमने उसे ठगा। परमेश्वर बंद दरवाज़ों के पीछे भी देखता है और जानता है कि वहां शोषण मौजूद है। मलाकी 2:14 हमें एक दूसरे से प्रेम करने व एक–दूसरे में आनंदित रहने की उस शपथ और वैवाहिक वाचा की भी याद दिलाता है जो हमने परमेश्वर के समक्ष ली थी।

भजन संहिता 11:5 में हमे हिंसा के विरुद्ध एक स्पष्ट और कड़ा सन्देश दिखता है, "यहोवा भले व बुरे लोगों को परखता है, और वह उन लोगों से घृणा करता है, जो हिंसा से प्रीति रखते हैं।"

मसीही होने के नाते हम यीशु के आदर्शों का पालन करते हैं। पृथ्वी पर यीशु के जीवन ने हमे दूसरो से प्रेम करने और उनसे व्यवहार करने की रीति सिखाई। यीशु अन्याय को उघाड़ता है; चंगाई देता है, और उन अधिकारियों को चुनौती देता है जो अन्याय के विरुद्ध न्यायसंगत कार्यवाही करने असफल रहे हैं।

यूहन्ना 8:2–11 में हम देखते हैं कि यीशु व्यभिचार में पकड़ी गई एक महिला को बचा लेते हैं जिसे लोग पत्थरों से मार डालना चाहते थे। यीशु ने कुँए पर पांच पतियोंवाली महिला से बातचीत की और उसके साथ पूरे सम्मान व गरिमापूर्ण रीति से व्यवहार किया (यूहन्ना 4)।

कुलुस्सियों 3:19 सीधे–सीधे यह निर्देश देता है : "हे पतियों, अपनी पतनियों से प्रेम करो, उनके प्रति कठोर मत बनो।"

इफिसियों 5:29 हमें ऐसा करने की रीति बताता है: कोई अपनी देह से तो कभी घृणा नहीं करता, बल्कि वह उसे पालता–पोसता है और उसका ध्यान रखता है। वैसे ही जैसे मसीह अपनी कलीसिया का।"

जब उत्पीड़न हो तो सर्वाइवर को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि स्वयं को हानि से बचाने के लिए उत्पीड़न से बचने का प्रयास करने एक सही फैसला है (भजन संहिता 22:3)।

मसीहियों को एक प्रेममय जीवन जीने, प्यार भरे और स्वस्थ सम्बन्ध के आदर्श स्थापित करने, और एक–दूसरे को उस जीवन के लिए सक्षम बनाने की बुलाहट दी है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है।

1कुरुंथियों 13:4–7 हमे बताता है कि प्रेम क्या है : "प्रेम धैर्यपूर्ण है, प्रेम दयामय है, प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती, प्रेम अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। वह अभिमानी नहीं होता। वह अनुचित व्यवहार कभी नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं है, प्रेम कभी झुँझलाता नहीं, वह बुराइयों का कोई लेखा–जोखा नहीं रखता। बुराई पर कभी उसे प्रसन्नता नहीं होती। वह तो दूसरों के साथ सत्य पर आनंदित होता है। वह सदा रक्षा करता है, वह सदा विश्वास करता है। प्रेम सदा आशा से पूर्ण रहता है। वह सहनशील है।"

यह स्पष्ट है कि परमेश्वर हमे प्रेम करने को कहता है, न कि दूसरों का शोषण करने को । घरेलू–हिंसा और लिंग विशेष के विरुद्ध होनेवाली हिंसा के लिए वचन में कोई स्थान नहीं है।

घरेलू–हिंसा क्या है ?

बलपूर्ण या धमकी भरा व्यवहार, हिंसा या उत्पीड़न अथवा साथी को अपने अधिकार में रखने की कोशिश से जुडी कोई घटना या घटनाक्रम घरेलू-हिंसा है। यूँ तो उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी आयु में हो सकता है, यह आलेख उन वयस्क महिलाओं पर केंद्रित है जो किसी के साथ रिश्ते में हैं या उत्पीड़न के समय थीं। इसमें शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक व आर्थिक शोषण तथा अभद्र भाषा का प्रयोग शामिल हैं।

हमें किशोरियों व बच्चियों के यौन शोषण व उत्पीड़न के प्रति भी सजग रहना है विशेषकर संकट के इस समय जबकि वे इनकी चपेट में आसानी से आ सकती हैं। अल्पायु या जबरन विवाह, अवांछित गर्भ धारण, यौन शोषण व बलात्कार जैसी घटनाएं महामारी या संकट –काल में नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं।

दूसरों को अपने अधिकार में रखने के अंतर्गत वे सारे काम आते हैं जो तरह–तरह की तिकड़मों द्वारा महिला को उत्पीड़क पर आश्रित बनाने या उसके अधीन रहने के दृष्टिकोण से किये जाते हैं। इसमें महिला पर अपने परिवार, मित्रों व समाज के अन्य लोगों से मिलने में पाबंदी लगा कर उसे सबसे अलग–थलग करना भी शामिल है। बलपूर्ण व्यवहार या ज़ोर–जबरदस्ती के अंतर्गत मारपीट करना, धमकी देना, अपमानित करना, डराना–धमकाना और वे सारे काम आते हैं जिसका प्रयोग पीड़ित को नुक़सान पहुंचाने, सज़ा देने, या डराने के लिए किया जाता है।

अपनी ताकत का गलत प्रयोग और दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन करना ही घरेलू–हिंसा का उद्देश्य होता है। इसमें दूसरे व्यक्ति के हित, जीवन या स्वतंत्रता की बिलकुल परवाह न करते हुए उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पाप है और इसकी उपज उत्पीड़क की उस सोंच में है जो कहती है कि ऐसा करना उसका अधिकार है, और उसकी महिला साथी उसके अधीन रहने व उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही है। बहुत से देशों में यह अपराध माना जाता है और होना भी यही चाहिए।

उत्पीड़न से जुडी इन भ्रामक बातों से सावधान रहें, जैसे कि "उससे गुस्से में ऐसा हो गया", "शराब या किसी और नशे के कारण ऐसा हुआ था", या फिर "उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था" आदि। ये बातें हिंसा को बढ़ावा ज़रूर दे सकती हैं लेकिन स्वयं हिंसा करने का कारण नहीं होतीं। हिंसा करने का चुनाव स्वयं उत्पीड़क करता है और ऐसा वो सोच–समझ कर करता है।

घरेलू–हिंसा और खराब बर्ताव (जैसे कि तनाव में आकर एक दूसरे पर चीखने –चिल्लाने) में अंतर होता है। लेकिन जहां भी बर्ताव खराब होता है, वहां पर हिंसा की सम्भावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथी को अपने अधिकार में रखने का प्रयास करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब सम्बन्ध खराब होते हैं तो व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपने साथी को बहस में हराना चाहता है। वह उस पर जीत हासिल करना चाहता है; उसे बुरा महसूस कराना चाहता है; घर में किसी के हित की परवाह किये बगैर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है।

*विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 से 11 वर्ष के बीच के व्यक्ति को 'किशोर' की परिभाषा दी है। इस तरह, किशोरों का एक बड़ा हिस्सा कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड द्वारा अपनाई गई "बालक" की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है जिसके अनुसार 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को "बालक" की श्रेणी में रखा गया है।

घरेलू–हिंसा आखिर कितनी बड़ी समस्या है ?

विश्व में हर तीन में से एक महिला ने अपने नज़दीकी साथी द्वारा शारीरिक अथवा यौन उत्पीड़न का अनुभव किया है। कुछ देशो में तो यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से भी अधिक है।

चर्च जाने वाले भी घरेलू–हिंसा का अनुभव करते हैं, जो अकसर हमारे समाज में चल रही इन घटनाओं का प्रतिबिम्ब होता है। यह बहुत ही गंभीर समस्या है जिसमे मृत्यु भी हो सकती है। यूएन विमिन का कहना है कि हर दिन लगभग 82 महिलाओं की उनके साथी या पूर्व साथी द्वारा हत्या कर दी जाती है। लिंग विशेष के प्रति हिंसा, यौन हिंसा या जीवन साथी द्वारा की गयी हिंसा, इन सभी प्रकार की हिंसा से महिलाओं में एचआईवी तथा अन्य यौन संक्रमण के रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अंतरंग साथियों द्वारा की जानेवाली हिंसा का शिकार प्रायः जवान महिलायें एवं किशोरियां होती है। लगभग 45 प्रतिशत किशोरियों बताती हैं कि पहले यौन संपर्क के समय उन्हें मजबूर किया गया था। अन्य महिलाओं की तुलना में यौन हिंसा का शिकार हुई युवतियों में एचआईवी होने का खतरा लगभग 50 प्रतिशत अधिक होता है (यूएन एड्स, 2015)।

कोविड–19 के दौरान व्यक्तिगत व सार्वजनिक, दोनों तरह की लैंगिक हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। कुछ देशो में घरेलू–हिंसा में एक–तिहाई बढ़ोतरी हुई है।

आंकड़े देख कर पता लगाएं कि आपके देश में घरेलू–हिंसा का स्तर क्या है और कोविड–19 के दौरान उसमे कितनी बढ़ोतरी हुई (अपनेडिक्स 2 भी देखें)। घरेलू–हिंसा लिंग विशेष से जुडी है, जिसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना महिलायें इससे अधिक प्रभावित होती हैं।

इसका अर्थ यह भी है कि पुरुष भी घरेलू–हिंसा का शिकार होते हैं। सभी प्रकार के उत्पीड़न गलत हैं और रुकने चाहिये। इससे उबरने के लिए हर सर्वाइवर को मदद और सहारे की ज़रुरत होती है।

कोविड-19 का घरेलू–हिंसा पर क्या प्रभाव पड़ा है?

कोविड-19 लॉकडाउन के समय अथवा घर से बाहर न निकलने के नोटिस के दौरान कई देशों में घरेलू-हिंसा व मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन में आनेवाली कॉल की संख्या में वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, अफ्रीका में लॉकडाउन के पहले ही महीने में घरेलू–हिंसा हेल्पलाइन में 87,000 कॉल आई, और मलेशिया के हॉटलाइन में आनेवाली कॉल में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। कीनिया में 16 साल की लड़की को एक पुरुष ने बंधक बना कर उसका यौन शोषण किया। रिपोर्ट के अनुसार हमलावर व्यक्ति ने कहा कि उसने लड़की को इसलिए अगवा किया था क्योंकि सरकार द्वारा लागू किये गए लॉकडाउन के समय को गुज़ारने के लिए उसे एक महिला का साथ चाहिए था।

व्यक्ति को अलग–थलग करना शोषण करनेवाले व्यक्ति की एक ख़ास चाल होती है। सरकार द्वारा घर से बाहर न निकलने के आदेश के चलते इस चाल को चलना और भी सरल हो गया है, और उत्पीड़न के सर्वाइवर के लिए बचने का कोई रास्ता संभव नहीं लगता है। लॉकडाउन के दौरान उत्पीड़क, महिला के जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है ताकि वह कभी आत्मनिर्भरता के साथ जीवन बसर न कर सके। संभव है कि सरकारी आदेशों के चलते एक महिला खाने–पीने का सामान खरीदने दुकान न जाए, लेकिन यह भी संभव है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि पैसो पर नियंत्रण उसके पुरुष साथी का है और स्वस्थ व स्वच्छ रहने के लिए आवश्यक भोजन, साबुन या साफ़–सफाई की चीज़ें खरीदने के लिए उसे पैसे नहीं देता (इसे आर्थिक शोषण कहते हैं)।

उत्पीड़क, महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरन यौन सम्बन्ध बना सकता है (उसका बलात्कार कर सकता है), या फिर परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग कर सर्वाइवर को यौन समबन्ध बनाने के लिए मजबूर कर सकता है। बचने का विकल्प न होने के कारण महिला को ऐसा लग सकता है कि उसके पास उत्पीड़क को खुश रखने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है (यह यौन शोषण है)। सरकार द्वारा घर पर ही रहने के आदेश के परिणामस्वरूप महिलाओं के बातचीत व तुष्टिकरण के उपाय सीमित, कम या बिलकुल बेकार हो सकते हैं ।

सभी के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकारी नोटिस और वैधानिक नोटिस वास्तव में क्या कहते हैं ताकि यह स्पष्ट हो कि वैधानिक रूप से क्या अनिवार्य है और किन बातों की अनुमति है। जैसे कि, कुछ देशों में घरेलू–हिंसा की स्थिति में घर से बाहर न निकलने के नोटिस को तोडा जा सकता है ताकि सर्वाइवर को मदद व सहारा मिल सके।

चर्च के अगुओं व भले पड़ोसियों द्वारा उठाया जानेवाले व्यवहारिक कदम

पीड़ित/सर्वाइवर व उसके बच्चों की सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सर्वाइवर व उसके बच्चो को किसी भी प्रकार के नुक़सान से बचाना बहुत ज़रूरी है। कार्यवाही करते समय अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।

घरेलू–हिंसा के मामले में कार्यवाही करते समय चार–कदम का सिद्धांत याद रखें। ये हैं पहचान करना, प्रतिक्रिया देना, किसी को सूचित करना और चौथा है रिकॉर्ड करना। लॉकडाउन व सामजिक दूरी के इस दौर में भी इन सिद्धांतो का पालन अवश्य करें।

1. घरेलू–हिंसा को पहचाननाः सबसे पहले आप इस बात को मानें कि घरेलू–हिंसा चर्च समुदायों में भी होती है, और कोविड–19 के समय इसके होने की दर और गंभीरता, दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। उत्पीड़न के चिन्ह पहचानना सीखें और सामजिक दूरी का ध्यान रखते हुए इसके विरुद्ध कार्यवाही करने को तैयार रहें।

2. घरेलू–हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया देना : सर्वाइवर से कहें कि आप उस पर विश्वास करते हैं। यह आप उसे ऑनलाइन जाकर, टेक्स्ट मेसेज या व्हाट्सप्प मेसेज भेज कर, या फिर लॉकडाउन समाप्त हो जाने पर आमने–सामने भी कह सकते हैं क्योंकि उनसे वह लगातार कहा जा रहा होगा कि कोई उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा; कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। बचाव की योजना बनाने में उनकी मदद करना एक सही व्यवहारिक कदम होगा।

3. घरेलू–हिंसा के विषय में किसी को सूचित करना : यदि आपके देश में घरेलू–हिंसा के लिए चलाई जानेवाली स्थानीय अथवा राष्ट्रीय सेवाएं उपलब्ध हैं तो सर्वाइवर को वहां भेज दें। सर्वाइवर की जान को खतरा होने पर तुरंत पुलिस के आपातकालीन नंबर पर फ़ोन करें। घरेलू–हिंसा में जान भी जा सकती है और हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए।

4. घरेलू–हिंसा के पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड रखना : सर्वाइवर की बातें रिकॉर्ड कर लें अर्थात उनका लेखा बना लें। हाथ से लिखे नोट या हिंसा के सबूत को फोटो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोटो खींचने से पहले सर्वाइवर की अनुमति ज़रूर लें।

महामारी के समय भी बहुत से व्यवहारिक कदम उठा सकते हैं।

कौन / क्या	भले पड़ोसियों की भूमिका	चर्च के अगुओं की भूमिका
घरेलू–हिंसा को पहचानना	उत्पीड़न के इन चिन्हों को पहचानें : 1. महिला खोई–खोई सी प्रतीत होगी। वह हमेशा उदास और दुखी लगेगी। 2. वह स्वयं को अथवा अपने बच्चों को खाना देने की स्थिति में नहीं होगी । 3. शरीर पर चोट के निशान होंगे। 4. वह बार–बार बीमार होगी। 5. उसका पति/साथी कहेगा कि वो बेवकूफ़ है; बेकार है; वह कुछ नहीं कर सकती। 6. उसका पति/साथी हमेशा उसका अपमान व निंदा करेगा। • इस बात को पहचान लें कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो शायद उसके द्वारा की जानेवाली हिंसा का लेश–मात्र हो। • अपने सोशल मीडिया पर एक सामान्य सूचना पोस्ट करें कि आपको घरेलू –हिंसा की जानकारी है और आपसे बात–चीत करना बिलकुल सुरक्षित है। • किशोरियों व सामान्यतया उन लड़कियों पर ध्यान दें जिनका शोषण करना अपेक्षाकृत और भी सरल है, खासतौर पर जब वे स्कूल से निकल चुकी होती हैं।	उत्पीड़न के इन चिन्हों को पहचानें : 1. महिला को ऑनलाइन चर्च सभा में हिस्सा लेने, प्रार्थना करने या बाइबिल पढ़ने की अनुमति न हो। 2. शरीर पर चोट के निशान होंगे और वह बार–बार बीमार होगी। 3. उसका पति/साथी उसके बारे में हमेशा नकारात्मक बातें कहेगा और उसे अपमानित करेगा। 4. उत्पीड़क हमेशा महिला की शिकायत करेगा और कहेगा कि महिला ने उसका जीवन दूभर किया हुआ है। • ध्यान रहे कि कहीं उत्पीड़क आप ही का सहारा न ले ले। कई बार ऐसे लोग बाहर के लोगों के साथ बहुत ही शालीनता से पेश आते हैं और उनकी मदद करते है ताकि वे उन्हें धोखे में रख सके और महिला की बात पर विश्वास न करें। • किशोरियों व सामान्यतया उन लड़कियों पर ध्यान दें जिनका शोषण करना अपेक्षाकृत और भी सरल है, खासतौर पर जब वे स्कूल से निकल चुकी होती हैं।

<table>
<tr><th>कौन / क्या</th><th>भले पड़ोसियों की भूमिका</th><th>चर्च के अगुओं की भूमिका</th></tr>
<tr><td>घरेलू–हिंसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया देना</td><td>
• सर्वाइवर को ऐसा लग सकता है कि लोग उत्पीड़न की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए आप उससे कहें कि आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं।
• हर एक बात ध्यान से सुनें। उसे भरोसा दिलाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ऐसी स्थिति में किसी से मदद मांगना बिलकुल सही कदम है।
• चेक करें कि टेक्स्ट, व्हाट्सप्प या फ़ोन कॉल में से कौन सा माध्यम सबसे सुरक्षित है।
• उन्हें घर के भीतर सुरक्षित रहने व ज़रुरत पड़ने पर बच्चों के साथ भाग निकलने की योजना बनाने को कहें।
• सर्वाइवर को एक कोड शब्द दें, जैसे की उत्पीड़न के लिए 'अ' अक्षर, ताकि उत्पीड़न का खतरा बढ़ने पर आपको सूचित किया जा सके।
• सर्वाइवर को किसी ऐसी महिला रिश्तेदार के घर शरण लेने का सुझाव दें जिन्हे उत्पीड़न के बारे में पता है और जिन्हे उचित कार्यवाही का प्रशिक्षण मिला हुआ है। सुरक्षा सर्वोपरि है। कई देशों में उत्पीड़न से बचाव के लिए सर्वाइवर को घर से बाहर निकलने की अनुमति है।
• यातायात के स्थानीय साधन के लिंक शेयर करें। कुछ देशों में उत्पीड़न से बचाव के दौरान सर्वाइवर महिला ट्रैन अथवा टैक्सी जैसे यातायात के साधन का प्रयोग मुफ्त में कर सकती है।
• पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा स्थानीय आपातकालीन फण्ड है जैसे कि राज्य/परिषद् में कोई प्रावधान या कि आपातकालीन चर्च फण्ड अथवा स्वयं–सहायता/सेल्फ–हेल्प ग्रुप ? इससे सुरक्षित जगह पहुंचने में सहायता मिल सकेगी।
• सर्वाइवर के भोजन का प्रबंध करने के लिए क्या कोई फूड–वॉचर्स चर्च अथवा स्थानीय समुदाय से दिए जा सकते हैं?
</td><td>
• सर्वाइवर की बात सुनें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ऐसी स्थिति में किसी से मदद मांगना बिलकुल सही कदम है।
• चेक करें कि टेक्स्ट, व्हाट्सप्प या फ़ोन कॉल में से कौन सा माध्यम सबसे सुरक्षित है।
• सर्वाइवर को एक कोड शब्द दें ताकि उत्पीड़न का खतरा बढ़ने पर आपको सूचित किया जा सके।
• पता लगाएं कि क्या कोई आपातकालीन चर्च फण्ड है जिसकी सहायता से महिला को किसी स्थानीय अथवा बाहर के राज्य में रहनेवाले रिश्तेदार के घर सुरक्षित पहुंचाने के लिए यातायात के साधन उपलब्ध किये जा सकें ? यदि ऐसा है, तो आपातकालीन फण्ड व यातायात के उपलब्ध साधन की एक गाइड (निर्देशिका) उसे दें। इस फण्ड का प्रयोग कुछ सप्ताह तक आपातकालीन शरण–स्थल में आने–जाने के लिए किया जा सकता है।
• सुरक्षा सर्वोपरि है और मदद सहयोग प्राप्त करने में पैसों की कमी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है।
• क्या चर्च कोई फूड–वॉचर्स देता है जिसकी मदद से सर्वाइवर व उसके बच्चे भोजन प्राप्त कर सकें ?
• यदि संभव हो तो कोई स्थायीन शरण–स्थल न होने की दशा में पीड़ित को चर्च में शरण दें। ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, और कुछ देशों में यह गैर–कानूनी भी है। इसलिए पूरी जांच–पड़ताल करें।
• अधिक जानकारी के लिए रेस्टोर्ड चर्च पैक ऑन डोमेस्टिक एब्यूज की एक प्रति डाउनलोड करें। ये कई भाषाओँ में उपलब्ध है। अपेंडिक्स में लिंक भी है।
• अपने उपदेशों, प्रार्थनाओं, सामूहिक आराधनाओं और सूचनाओं में घरेलू–हिंसा के विषय उठाते रहें ताकि आपकी कलीसिया के लोगों को यह पता रहे कि घरेलू–हिंसा क्या है और इससे बचने के लिए क्या मदद उपलब्ध है।
• कहें कि घरेलू–हिंसा पाप है; गलत है; अस्वीकार्य हैं और इसका अंत होना चाहिए। घरेलू–हिंसा पर चर्च के अगुवों द्वारा दिए गए स्पष्ट सन्देश बंद दरवाज़ों के पीछे होनेवाली हिंसा पर रोक लगा सकते हैं।
• अपने चर्च में अथवा चर्च की बाहरी दीवार पर घरेलू–हिंसा व उससे जुडी हेल्पलाइन के पोस्टर लगवाएं ताकि वहां से गुज़रते हुए लोग उन्हें देख सकें।
• अपने चर्च की वेबसाइट और फेसबुक पेज पर घरेलू–हिंसा व उसकी हेल्पलाइन से जुड़े पोस्टर पोस्ट करें।
• स्थानीय पासबाँ व चर्च के अगुओं को पत्र लिख कर घरेलू–हिंसा की संभावना के बढ़ने पर आगाह करें, और उन्हें अपने उपदेशों/चर्च नोटिसों और सोशल मीडिया एवं मीडिया में इसके विरूद्ध बोलने को प्रोत्साहित करें।
</td></tr>
</table>

कौन / क्या	भले पड़ोसियों की भूमिका	चर्च के अगुओं की भूमिका
घरेलू–हिंसा के विषय में किसी को सूचित करना	• घरेलू–हिंसा से जुडी स्थानीय हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दें। स्थानीय सेवायें न होने पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर दें। विश्व के किसी भी देश के हेल्पलाइन की जानकारी के लिए https://www.hotpeachpages.net/ पर जाएं। • विभिन्न भाषाओं में विश्व की हेल्पलाइनों के नंबर की जानकारी प्राप्त करें। • जान का खतरा लगने पर सर्वाइवर को पुलिस को सूचित करने को कहें। • सर्वाइवर उत्पीड़न को हल्के में ले सकती हैं और परिस्थिति की गंभीरता को नज़रअंदाज़ कर सकती हैं। यदि वे मदद लेने से इंकार करें, और आपको बच्चों पर खतरे का अंदेशा लगे, तो बाल–संरक्षण नीति के निर्देशों का पालन करते हुए स्थानीय समाज सेवा को सूचित करें। इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध न होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। • यदि माँओं की कोई स्थानीय यूनियन हो तो आगे की सहायता के लिए सर्वाइवर को उससे जोड़ दें।	• घरेलू–हिंसा से जुडी स्थानीय हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दें। स्थानीय सेवायें न होने पर राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर दें। विश्व के किसी भी देश के हेल्पलाइन की जानकारी के लिए https://www.hotpeachpages.net/ पर जाएं। • यदि घरेलू–हिंसा से जुडी कोई सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध न हो, या वे सर्वाइवर तक न पहुंच पा रहे हों, तो ऐसे में सर्वाइवर को अतिरिक्त मदद व सहायता के लिए सुरक्षा अधिकारी , बाल–संरक्षण अधिकारी, अपने चर्च के पासबाँ अथवा महिला लीडर से जोड़ दें। • बाइबिल का सन्दर्भ दें और यह स्पष्ट करें कि परमेश्वर हिंसा व शोषण से घृणा करता है और इस प्रकार के शोषण को सामने लाना बिलकुल सही कदम है। • यदि माँओं की कोई स्थानीय यूनियन हो तो आगे के साथ व सहायता के लिए सर्वाइवर को उससे जोड़ दें। • अतिरिक्त जानकारी के लिए रेस्टोर्डज़ चर्च पैक ऑन एंडिंग डोमेस्टिक एब्यूज की एक प्रति डाउनलोड करें।
घरेलू–हिंसा के पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड रखना	• कही गयी बातों का सटीक ब्यौरा रखें। सुनने के बाद तुरंत जैसा सुना है ठीक वैसा ही लिखें। अपने विचार न लिखें ; बस वही लिखें जो सुना है। यदि बताया गया हो तो घटना के दिन व समय का ब्यौरा लिख लें। घटना के बारे में आपको जिस दिन बताया गया था, उस दिन की तिथि व समय नोट करें। • रिकॉर्ड संभाल कर रखें। पुलिस व कोर्ट में इसे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। • आपने जो सुझाव सर्वाइवर को दिए, आप उनका भी रिकॉर्ड रखें। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा घरेलू–हिंसा पर दी गयी कोई पठन सामग्री या हेल्पलाइन नंबर, अथवा आपके द्वारा सर्वाइवर को हिंसा के संभावित खतरे की जानकारी।	• कही गयी बातों का सटीक ब्यौरा रखें। ज़रूरी है कि आप सर्वाइवर के शब्दों को ही लिखें न कि अपने विचार। • रिकॉर्ड संभाल कर रखें। इसकी जानकारी केवल सुरक्षा अधिकारी या फिर बाल संरक्षण अधिकारी अथवा अपने चर्च के पासबान को दें। • आपने जो सुझाव सर्वाइवर को दिए, आप उनका भी रिकॉर्ड रखें। उदाहरण के लिए, आपके द्वारा घरेलू–हिंसा पर दी गयी कोई पठन सामग्री या हेल्पलाइन नंबर, अथवा आपके द्वारा सर्वाइवर को हिंसा के संभावित खतरे की जानकारी।

** यह बहुत प्रभावी कदम है लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई और विकल्प न बचे।
चर्च के दरवाज़े बंद करें और उसकी एक चाबी केवल सर्वाइवर व एक और व्यक्ति के पास दें। उत्पीड़क को सर्वाइवर के ठिकाने की कोई जानकारी न दी जाए क्योंकि ऐसा करना ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले अपने देश के क़ानून को अवश्य पढ़ें कि ऐसा करना कहीं गैर–कानूनी तो नहीं है।

कृपया ध्यान दें : प्रयुक्त छवि एक लाइसेंस प्राप्त स्टॉक फोटो है जिसका प्रयोग केवल चित्रण हेतु किया गया है और दर्शाये गए लोग मॉडल (अभिनेता) हैं।

क्या न करें

सर्वाइवर द्वारा दिए गए ब्योरे के विषय में उत्पीड़क से ना पूछें कि वो सच है या नहीं। ऐसा करने से सर्वाइवर के लिए खतरा बढ़ सकता है और उसे जान भी गवानी पड़ सकती है।

यह बहुत ज़रूरी है कि जब सर्वाइवर अपने उत्पीड़न की बात का खुलासा हमसे करे तो हम उसे न तो हल्के में लें, न किसी कारण से जोड़ें, न सही ठहराएं और न ही उसे आत्मिकता के साये में ढापने का प्रयास करें। उससे उत्पीड़न के प्रमाण न मांगे, न दोष लगाएं और न ही उसे अपने पति/साथी के पास लौटने को कहें क्योंकि ऐसा करने में खतरा है। ऐसी बातें न कहें जो आप पूरा नहीं कर सकते। अपनी क्षमताएं और सीमाएं ध्यान में रखें।

जोड़े को किसी भी प्रकार के सलाह–परामर्श के लिए न भेजें क्योंकि ऐसा करने से अपने उत्पीड़न की ज़िम्मेदारी स्वयं सर्वाइवर पर भी पड़ जाती नहीं जबकि उत्पीड़न व उसके परिणामों के लिए केवल उत्पीड़क ही पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

सर्वाइवर द्वारा बचने के उपाय

सर्वाइवर में भी स्वयं को बचाने की क्षमता होती है और नीचे लिखे कुछ कदम उठा सकती हैं :

सर्वाइवर क्या कर सकती हैं	व्यावहारिक स्तर पर क्या दिखेगा
अपने साथ होनेवाले उत्पीड़न को पहचानें	चीखना, चिल्लाना, दोष लगाना, मार–पीट करना , बाहर निकलने न देना , दूसरों से बातचीत न करने देना, पैसों पर सीमित अथवा कोई अधिकार न देना आदि घरेलू–हिंसा के चिन्ह हैं।
स्वयं को सुरक्षित रखें और मदद मांगे	• खतरा होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। • घरेलू–हिंसा से जुडी स्थानीय अथवा राष्ट्रीय सेवाओं को फ़ोन करें। • मदद मांगे। उत्पीड़क चाहे जितना भी बोले लेकिन उत्पीड़न के दोषी आप नहीं हैं। यह आपने नहीं करवाया। • अपने घर में बच कर रहें और अपने लिए एक सुरक्षा योजना बनाएं। अपने कुछ कपडे, दस्तावेज़ और चाबियों का एक गुच्छा अपने किसी विश्वसनीय पडोसी के पास रख छोड़ें। • अपने पड़ोसी, चर्च के अगुवे या नियोक्ता के लिए एक कोड शब्द बना लें ताकि ज़रुरत पड़ने पर आप उस शब्द का प्रयोग करके उनसे मदद मांग सकें । उदहारण के लिए, उत्पीड़न का नाम 'अंजना' रख लें और यह कोड शब्द उन्हें बता दें । उत्पीड़न होने की दशा में आप इस नाम के सहारे अपने उत्पीड़न की जानकारी दे पाएंगी और मदद मांग सकेंगी। • पुरुषों से मदद लेते समय सावधान रहें। यदि आपके इस नाज़ुक समय में कोई पुरुष आपको अपने घर में शरण देना चाहे तो मदद लेने से पहले कई बार सोंचे। ऐसा करने से भविष्य में उत्पीड़न की सम्भावना अकसर बढ़ जाती है।
स्वयं को घरेलू–हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए चल रही सेवाओं के लिए भेजें	• घरेलू–हिंसा हेल्पलाइन/सेवाओं को फ़ोन करें। इस नंबर को आप 'अंजना' या अ अक्षर से किसी और नाम से सेव करें ताकि आपकी फ़ोन–डायरी में वो सबसे ऊपर रहे। • यदि पुलिस को सूचित किया जा चुका है तो आगे की कार्यवाही के लिए अपराध नंबर का रिकॉर्ड रखें। संभव हो तो दोबारा फ़ोन करने या आने का अनुरोध करें। • यदि आपके इलाके में घरेलू–हिंसा से जुडी हेल्पलाइन/सेवाएं नहीं हैं तो मदद व सहयोग के लिए माँओं के स्थानीय यूनियन के व्यक्ति से संपर्क करे। आप अकेली नहीं हैं।
भावी सन्दर्भ के लिए उत्पीड़न की घटना का लेखा/रिकॉर्ड रखें।	• यदि संभव हो तो अपने साथ हुए उत्पीड़न का ब्यौरा तिथि व समय के साथ लिख करे रखें। भविष्य में कार्यवाही करने की स्थिति में इस ब्यौरे को प्रमाण की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। • फोटो खीचें और उन्हें अपने फ़ोन पर पड़ोसियों के नाम के साथ सेव कर लें। • अपने पडोसी/चर्च के अगुवे / नियोक्ता से कहें कि जब भी वे उत्पीड़न होतो देखें या सुनें तो उसका रिकॉर्ड बना लें । ज़रुरत पड़ने पर कोर्ट में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

पुरुषों की भागीदारी

यदि हम घरेलू-हिंसा का अंत देखना चाहते हैं तो व्यापक बदलाव के लिए पुरुषों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। वे सकारात्मक पुरुषत्व का आदर्श स्थापित करते हुए अन्य पुरुषों को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे उस बर्ताव को बदलें जिनसे दूसरों का जीवन नष्ट हो सकता है

यीशु के उदाहरण का पालन करना और घरेलू–हिंसा के विरुद्ध खड़े होना पुरुषों के लिए अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। भरपूर गृहस्थ जीवन के लिए संबंधों को सकारात्मक व स्वस्थ रखना चाहिए। यह पड़ोसियों के समक्ष एक भली गवाही होगी और सर्वाइवर को भी यह देखने को मिलेगा कि उत्पीड़नहीन जीवन कैसा होता है।

विश्व भर की संस्कृतियों व तमाम देशों में पुरुषत्व की एक सीमित सामाजिक छवि देखने को मिलती है जो अकसर एक विषाक्त छवि होती है। इस कारण पुरुषत्व को लेकर एक ऐसी सोंच विकसित हो जाती है जो पुरुष व स्त्री (जिसके साथ वो सम्बन्ध में है), दोनों को नुक़सान पहुंचाती है । हम पुरुषों से अनुचित मात्रा में और एक सीमित प्रकार की सामजिक अपेक्षाएं रखते हैं। काम–काज ठप्प होने की वर्तमान स्थिति में उनकी समस्या और भी बढ़ गयी है क्योंकि घरेलू काम–काज (जैसे खाना पकाना इत्यादि) का कोई अनुभव न होने के कारण वे इस नए माहौल में फिट नहीं हो पा रहे हैं। पुरुषों को अपने रवैये पर विचार करना होगा और अपने भीतर की कमियों का पता लगा कर उन्हें बदलना होगा, ताकि वे घर को मिल–जुल कर, स्वस्थ एवं प्रभावी रीती से चला सकें। कोविड–19 के बाद आनेवाले नए भविष्य की नीव को रखने का यही समय है।

ऑफिस का काम हो या स्कूल की पढ़ाई, सब कुछ अब घर से किये जा रहे हैं; और इस तरह जीवन के कई पहलू अब एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए लॉकडाउन के दौरान घर सुचारु रूप से चलाने के लिए सकारात्मक घरेलू प्रबंधन अर्थात घर चलाने से जुड़े मुद्दों पर खुल कर बातचीत करना और काम में बराबर की हिस्सेदारी रखना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत इस बात का लेखा बनाने से करें कि दिन के 24 घंटो में कौन कितना काम करता है और हर काम में कितना समय लगता है। इससे काम को सही तरह से बांटने में आसानी रहेगी और किसी पर भी काम का ज़्यादा या कम बोझ नहीं पड़ेगा।

आपको अपने साथी की मदद व सलाह से नए तरह के कौशल सीखना पड़ सकता है। काम बराबरी से बटा है या नहीं जानने का एक और तरीका है। देखें कि पूरे दिन के दौरान कौन सोफे पर या टीवी देखते हुए समय बिताता है जबकि दूसरा दिन भर काम में व्यस्त रहता है। हर घर के काम करने का अपना तरीका होता है , लेकिन जो भी हो काम का बटवारा केवल अनुमान, परंपरा या लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वो है "मैं जो कर रहा हूँ उसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ रहा है?" इस तरह के चिंतन से हम यह जान पाते हैं कि अपने काम, रवैये और व्यवहार से हम एक–दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं या अपने सम्बन्धो पर गाज गिरा रहे हैं।

घर पर रहने के दौरान पुरुष क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी आप "मेन इन लॉकडाउन" व "मेन अंडर प्रेशर" पठन सामग्री में देख सकते हैं (अपनेडिक्स एक देखें)।

पुरुषों में लैंगिक समानता को प्रोत्साहन देने के लिए संयुक्त राष्ट्र "ही फॉर शी" अभियान चलाता है। कोविड–19 के दौरान वे #ही फोर शी एट होम नाम का अभियान चला रहे हैं ताकि वे जान सकें कि घर के सुचारु संचालन के लिए लोग अपनी भूमिका एवं ज़िम्मेदारियों पर किस तरह की चर्चा या बदलाव कर रहे हैं। विषय से जुडी अतिरिक्त जानकारी और फोटो आप www.instagram.com/heforshe पर जा सकते हैं।

उत्पीड़क

उत्पीड़न व उससे छुटकारे की ज़िम्मेदारी उत्पीड़क पर ठहराई जानी चाहिए।

प्रेम, अनुग्रह और क्षमा सभी के लिए है – शुभ संदेश की यह वो बात है जिसका लोग सबसे अधिक गलत प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग अपराधी को आपराधिक मुक़दमे से बचाने के लिए नहीं करना चाहिए। प्रेम और अनुग्रह के साथ परमेशर न्याय का परमेश्वर भी है। अपराधी द्वारा किये गए उत्पीड़न के परिणाम दूरगामी होते हैं और न्याय अवश्य माँगा जाना चाहिए।

उत्पीड़क को प्रोत्साहित करें कि वो अपने बुरे रवैये और बर्ताव को बदलने के लिए सुधार का रास्ता अपनाएं। उत्पीड़क को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। न्याय होना बहुत ज़रूरी है ताकि सर्वाइवर में चंगाई की प्रक्रिया शुरू हो सके; मानवता में उसका विश्वास बहाल हो सके और उसे यह विश्वास दिलाया जा सके कि उसके साथ जो हुआ वो बिलकुल गलत था। अपने भीतर बदलाव लाने और गलत कामों को सुधारने के लिए उत्पीड़क 'सात–कदम' फ्रेमवर्क में दिए निर्देशों का पालन करें। ये सात–कदम हैं : –उत्पीड़न को पहचानना, अपने किये का पश्चाताप करना, स्वयं को उन सभी परिस्थितियों से हटा लेना जो उत्पीड़न को जन्म दे सकती हैं, उत्पीड़न के पश्चात की कार्यवाही के लिए किसी को सूचित करना, उत्पीड़न से हुए नुकसान की यथासंभव क्षतिपूर्ति करना, प्रकरण का रिकॉर्ड रखना, और अंत में है सभी बातों का पुनरावलोकन करना।

उत्पीड़क जो कदम उठा सकते हैं

उत्पीड़कों में भी स्वयं को रोकने, अपने रवैये को बदलने और अपने गलत कामों की ज़िम्मेदारी लेने की क्षमता होती है।

उत्पीड़क क्या कर सकते हैं	व्यावहारिक स्तर पर इसका क्या मतलब है
इस बात को पहचाने कि उत्पीड़न आपने किया है	• चीखना, चिल्लाना, दोष लगाना, मार–पीट करना , दोष मढ़ना, धोखे में रखना, ताकत का इस्तेमाल करना और व्यक्ति को अपने वश में रखना , उसे दूसरों से अलग–थलग करना उत्पीड़न है। • उत्पीड़न गलत है और यह रुकना ही चाहिए। • उत्पीड़न करना एक चुनाव है और जिसे आप स्वयं चुनते हैं। • उत्पीड़न गहरी पीड़ा व जीवन भर के आघात का कारण बन सकता है। यह भरोसे को चकनाचूर कर देता है। • उत्पीड़न एक पाप और परमेश्वर का अपमान है। • कुछ देशों में यह अपराध की श्रेणी में आता है। • उत्पीड़न और ताकत का गलत इस्तेमाल करने से स्वयं को रोकें।
अपने किये का पश्चाताप करें	• अपने किये पर पश्चाताप करें • अपने व्यवहार की गंभीर प्रकृति और आपके द्वारा उठाये गए कदम के अपने साथी, बच्चों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, चर्च सदस्यों, और समुदाय पर होनेवाले गहरे प्रभाव को जानें। • याद रखें परमेश्वर आपके मन को देखता है और उसे झूठे अंगीकार से धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए परमेश्वर के समक्ष पूरे मन से अपने पाप का अंगीकार करें। • प्रतिज्ञा करें कि आप स्वयं को पूरी तरह से बदलेंगे और किसी एक ऐसे व्यक्ति के अधीन होकर अपने किये काम की जवाबदेही रखेंगे जो आपके आपके गलत तर्कों को बिल्कुल नहीं मानेगा। कलीसिया के अगुवे और जिसके प्रति आपने स्वयं को जवाबदेह किया है, उसके समक्ष अंगीकार करें। परमेश्वर क्षमा अवश्य देता है लेकिन अपने किये का परिणाम का सामना तो करना ही होगा।
स्वयं को उन सभी परिस्थितियों से हटा लें जो उत्पीड़न को जन्म दे सकती हैं	• यदि आपको अंदेशा हो कि आप किसी को नुकसान पहुंचा कर उनके लिए खतरा बन सकते हैं, या सर्वाइवर द्वारा अनुरोध करने पर स्वयं को उस परिस्थिति और घर से दूर कर लें। • यदि आपका साथी आपसे मेल–मिलाप न रखना चाहे, तो उसके निर्णय का सम्मान करें और अलग होने की प्रक्रिया सभ्य व सुरक्षित तरीके से निपटाएं।
उत्पीड़न के पश्चात की कार्यवाही के लिए किसी को सूचित करें	• अपने द्वारा किये गए उत्पीड़न की सूचना पुलिस को दें और स्वयं को क़ानून के सुपुर्द करें। • अपने व सर्वाइवर के जीवन की नयी शुरुआत के लिए न्याय होना बहुत ज़रूरी है। न्याय का स्वरुप देश के कानून पर निर्भर करता है।

उत्पीड़क क्या कर सकते हैं	व्यावहारिक स्तर पर इसका क्या मतलब है
उत्पीड़न से हुए नुकसान की यथासंभव क्षतिपूर्ति करें	• अपनी गलती से हुए नुकसान की भरपाई करें। उदहारण के लिए, अपने साथी को वो पैसा लौटा दें जो आपने उनसे दबा कर रखा था, या बच्चों की ज़रूरतों पर खर्च करने से इंकार किया था। • सुधार के लिए आप जो भी कदम उठाना चाहते हैं, उसकी सहमति उस व्यक्ति से ज़रूर लें जिसके प्रति आपने जवाबदेही तय की हुई है अर्थात आपके एकाउंटेबिलिटी पार्टनर से। उसे यह भी बताएं कि आप वे कदम कैसे उठाएंगे। • जो कदम उठाने का उत्तरदायित्व आपने लिया है, उन्हें निष्ठापूर्वक करें और एकाउंटेबिलिटी पार्टनर को पूरी सच्चाई के साथ हर सप्ताह रिपोर्ट करें। • ये सभी उपाय सर्वाइवर को केंद्र में रखते हुए करें और मध्यस्थता करनेवालों से पूछते रहे कि सर्वाइवर महिला आपसे क्या चाहती है।
प्रकरण का रिकॉर्ड रखें	• जिस व्यक्ति के प्रति आपने जवाबदेह होना स्वीकार किया है अर्थात अपने एकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ हुए समझौते को रिकॉर्ड करें और नियमित रूप से उन्हें बताते रहें कि अपने रवैये और व्यवहार को बदलने के लिए आपने कौन से कदम उठाए हैं। • तय बातों पर अमल करने में कोताही न बरते और न ही कोई बहाने बनाएं। • स्वयं की पूरी ज़िम्मेदारी लें तथा अपने रवैये और व्यवहार में बदलाव लाएं।
पुनरावलोकन करें	• अपने समझौते का समय–समय पर पुनरावलोकन करते रहें ताकि उत्पीड़न की भावी घटना को रोकने के लिए ज़रूरी बदलावों की ज़िम्मेदारी खुले तौर पर आप की रहे। आप व आपका एकाउंटेबिलिटी पार्टनर (जवाबदेही के साथी) मिल कर तय कर सकते हैं कि आप अवलोकन के लिए कब–कब मिलेंगे; कोविड–19 के प्रतिबंधित समय में आप फ़ोन या इंटरनेट पर भी मिल सकते हैं। • पुनरावलोकन के लिए तय तिथि व समय पर अवश्य मिलें। इसका उल्लंघन न करें। • ज़िम्मेदार बनें और अपने किये कामों की ही नहीं वरन उन कामों की भी ज़िम्मेदारी भी लें जो किये जाने थे लेकिन आपने नहीं किये। • अपने किये की ज़िम्मेदारी किसी और पर न डालें ; न उत्पीड़न की ज़िम्मेदारी लेने से इंकार करें; न उसे कम करके आंकें, न अपने बर्ताव के लिए कोई बहाने बनाएं और न ही किसी अन्य व्यक्ति पर अपना दोष मढ़ें ।

** एकाउंटेबिलिटी पार्टनर को उत्पीड़न के अलग–अलग पहलुओं की पहचान होनी चाहिए जिनका प्रयोग ताकत और नियंत्रण पाने के लिए किया जा सकता है। उत्पीड़न करनेवाले सज्जन और भरोसेमंद लग सकते हैं और आपको अपनी बातों से बरगला सकते हैं। इसीलिये सतर्क रहें और उत्पीड़न को सही ठहराने, उसे किसी कारण से जोड़ने अथवा बदलाव के लिए उठाये जानेवाले तय कदमों को उठाने में की गयी लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त न करें।

आवाज़ उठायें

आवाज़ उठाने का अर्थ उन लोगों का साथ देना है जो किसी अन्याय या सेवा प्रावधानों की उन कमियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं जिनसे हमारे समाज के किसी वर्ग विशेष पर प्रतिकूल प्रभाव या उनके अधिकारों का हनन होता है। संकट के इस समय में दूसरों के लिए आवाज़ उठाने से सरकार व चर्चों को कमियां ढूंढने व उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।

चर्च के अगुवों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ विनम्रता से पेश आएं । उन्हें खुल कर बताएं कि आपने किस मुद्दे को लेकर उनसे संपर्क किया है ; इससे आप, आपका घर, या समुदाय पर कैसे प्रभावित होता है ; और आप इस मुद्दे का क्या संभावित समाधान चाहते हैं।

यदि आपके देश में मुद्दों पर आवाज़ उठाना संभव और सुरक्षित हो, तो इन मुद्दों पर आवाज़ उठाने का विचार करें :

1. घरेलू–हिंसा से जुडी सेवाओं की मांग में बढ़ोतरी के चलते घरेलू–हिंसा की सेवाओं के फण्ड में बढ़ोतरी हो।

2. सुरक्षा–गृह / शरण गृह में आनेवाली पीड़ित महिलाओं व बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए उनके फण्ड में बढ़ोतरी हो।

3. घरेलू–हिंसा की समस्या व महामारी के समय मदद के लिए कहाँ संपर्क करें आदि तथ्यों की जानकारी देने के लिए राष्ट्र–व्यापी विज्ञापन अभियान चलाया जाए।

4. घरेलू –हिंसा करनेवाले व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए इसे अपराध घोषित करने की दिशा में क़ानून लागू हो।

5. घरेलू–हिंसा की लैंगिक प्रकृति, उसकी व्यापकता व प्रभाव पर पुलिस व न्याय–तंत्र व्यवस्थित रूप से शिक्षित हो, ताकि वे बचाव की आदर्श–रीतियों के अनुसार कदम उठा सकें।

सारांश

याद रहे घरेलू-हिंसा होती है; चर्चों में भी।

उत्पीड़न/हिंसा के लक्षणों पर ध्यान दें और "चार कदम" की नीति अपनाते हुए इसके विरुद्ध कार्यवाही करें। सर्वाइवर के लिए ये चार–कदम हैं : घरेलू–हिंसा को पहचानना, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देना, उसके विषय में किसी को सूचित करना और पूरे प्रकरण का रिकॉर्ड रखना।

जवाबदेही उत्पीड़क पर डालें और उन्हें सात–कदम नीति का पालन करने को प्रोत्साहित करें। ये सात–कदम हैं : –उत्पीड़न को पहचानना, अपने किये का पश्चाताप करना, स्वयं को उन सभी परिस्थितियों से हटा लेना जो उत्पीड़न को जन्म दे सकती हैं, उत्पीड़न के पश्चात की कार्यवाही के लिए किसी को सूचित करना, उत्पीड़न से हुए नुकसान की यथासंभव क्षतिपूर्ति करना, प्रकरण का रिकॉर्ड रखना, और अंत में है सभी बातों का पुनरावलोकन करना। ध्यान रखें कि इसका उद्देश्य उत्पीड़क व सर्वाइवर के बीच सुलह कराना नहीं बल्कि सर्वाइवर की सुरक्षा, अस्मिता, व गरिमा के बचाव में खड़े होना है ।

परिशिष्ट

अपनेडिक्स 1

सामग्री व लिंक्स

ग्लोबल डोमेस्टिक एब्यूज हेल्पलाइन

hotpeachpages.net

महामारी से बचाव के लिए समता पर आधारित दृष्टिकोण - मेन एंगेजअलायन्स

menengage.org/resources/an-equity-based-approach-to-dealingwith-the-covid-19-pandemic

लॉकडाउन काल में पुरुष

restoredrelationships.org/Men_in_

पुरुषों पर दबाव

restored.contentfiles.net/media/assets/file/Advice_to_Men_in_Isolation_2020_v2.pdf

मलेशिया विमिंज एड

wao.org.my/implement emergencyresponse-to-domestic-violence amidcovid-19-crisis

कोविड-19 के दौरान सुलह से जुडी सामग्री

www.restoredrelationships.org/

हिंसा का अंत करने से जुडी सामग्री का चर्च - पैक - अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनी, पुर्तगाली, अरबी, रूसी, स्वीडिश, पोलिश और हिंदी भाषा में उपलब्ध

www.restoredrelationships.org/resources/info/51/

हिंसा का अंत करने से जुडी सामग्री का चर्च - पैक - यूएस के लिए विशेष रूप से तैयार

www.restoredrelationships.org/resources/info/147/

चर्च ऑफ़ इंग्लैंड की घरेलू-हिंसा और कोविड-19 पर सामग्री

churchofengland.org/safeguarding/promoting-saferchurch/domesticabuse-and-covid-19

सुरक्षा-योजना बनाना

www.restoredrelationships.org/help/making-a-safety-plan/

घरेलू-हिंसा : चर्चों में भी - पूरे कम्ब्रिआ में चर्च जानेवालों के मध्य घरेलू-हिंसा पर यूके का शोध

www.restoredrelationships.org/resources/info/146/

पेरू के चर्चों में घरेलू-हिंसा

www.restoredrelationships.org/resources/info/83/

अर्जेंटीना में

www.restoredrelationships.org/resources/info/100/

बोलीविया में

www.restoredrelationships.org/resources/info/90

रिडेम्प्टिव मस्क्युलिनिटीज़ (चितंडो और इंजोरोज 2016, चितंडो और चिरोगोमा 2012)

archived.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p4/ehaia/RedemptiveMasculinities.pdf

परमेश्वर के स्वरुप में रचे : अनुक्रम से सांझेदारी तक, वर्ल्ड कौंसिल ऑफ़ रेफोर्मेड चर्चेस

wcrc.ch/wp-content/uploads/2015/04/CreatedInGodsImage.pdf

परमेश्वर के स्वरुप में रचे : प्रभुत्व से सांझेदारी तक (सकारात्मक पुरुषत्व निर्देशिका), वर्ल्ड कौंसिल ऑफ़ रेफोर्मेड चर्चेस

menengage.org/wpcontent/uploads/2014/07/PositiveMasculinities GenderManual_0.pdf

एक सप्ताह बिना घरेलू-हिंसा के टूलकिट, वर्ल्ड YMCA

worldywca.org/ywca_ressources/weekwithout-violence-toolkit-2019- is-nowavailable

अपनेडिक्स 2

घरेलू-हिंसा के आंकड़े और लिंग-विशेष पर प्रभाव

यूएन विमिन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होनेवाली हिंसा से जुड़े तथ्य और आंकड़े

unwomen.org/en/what-we-do/endingviolence-against-women/facts-andfigures

यूरोपीय संसद की रिपोर्ट के अनुसार ईयू देशों में लॉकडाउन के दौरान घरेलू-हिंसा में बढ़ोतरी हुई

europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20200406IPR76610/covid-19-stopping-the-rise-in-domesticviolence-during-lockdown

ऑस्ट्रेलिआ ने घरेलू-हिंसा के पीड़ितों की सहायता से जुड़े इंटरनेट सर्च में 75 प्रतिशत का उछाल रिपोर्ट किया है।

france24.com/en/20200406-un-chiefdecries-horrifying-rise-in-domesticviolence-amid-virus-lockdown

यूके में लॉकडाउन के पहले तीन सप्ताह के दौरान घरेलू हत्याओं में लगभग तीन गुना वृद्धि हुई है और वहीं घरेलू-हिंसा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों में आनेवाली कॉल्स में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यूके की एक संसदीय समिति के समक्ष, लॉकडाउन के पहले तीन सप्ताह में 14 महिलाओं एवं 2 बच्चों की हत्या होने की बात कही गयी।

sarahmullally.wordpress.com/2020/05/01/loving-as-christloved-during-covid-19

मलेशिया की विमिंस एड को हेल्पलाइन में आनेवाली कॉल की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है

wao.org.my/implement emergencyresponse-to-domestic-violence-amidcovid-19-crisis

ब्राज़ील की हेल्पलाइन में आनेवाली कॉल्स की संख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है।

कीनिया की दी नेशनल कौंसिल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ जस्टिस ने देश के विभिन्न प्रदेशो से यौन उत्पीड़न के मामलो में तेज़ वृद्धि दर्ज की है।

hrw.org/news/2020/04/08/tackling kenyas-domestic-violence- amid-covid-19-crisis

युनिवेर्सिटी ऑफ़ कवेंट्री तथा युनिवेर्सिटी ऑफ़ लेस्टर द्वारा किये गए शोध के दौरान यह बात सामने आई, कि यूके स्थित कंब्रिआ नामक क्षेत्र में चर्च जानेवाले हर चार में से एक व्यक्ति ने अपने वर्तमान घरेलू-सम्बन्ध में शोषण का सामना किया है। यदि पिछले सम्बन्ध को भी आंकड़ों में शामिल करने पर यह संख्या 42.2 प्रतिशत हो जाती है। 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में उत्पीड़न पुरुष द्वारा किया गया था।

restoredrelationships.org/resources/info/146/

बोलीविया, अर्जेंटीना और पेरू के चर्चों पर शोध में पता चला कि घरेलू-हिंसा चर्चों में भी हुई।

restoredrelationships.org/resources/info/83/

अन्य प्रभाव

मानसिक स्वस्थ्य का बिगड़ना

pewtrusts.org/en/research-andanalysis/blogs/stateline/2020/04/17/fearing-coronavirus-many-rural-blackwomen-avoid-hospitals-to-give-birthat-home

सार्वजानिक हिंसा -

घर पर बंद रहने के आदेशों को लागू किये जाने में पुलिस की बर्बरता ।

समस्त अफ्रीका में

bbc.com/news/world-africa-52214740

भारत

dw.com/en/india-police-under-fire-forusing-violence-to-enforce-coronaviruslockdown/a-52946717

अभिस्वीकृति

लेखन

मैंडी मार्शल
संचालक : जेंडर जस्टिस
दी एंग्लिकन कम्यूनियन

योगदान

चिज़ेश मिबिन्ज
एपिस्कोपल रिलीफ एंड डेवलपमेंट, यूएसए

रेव्ह रेचल कार्नेगी
एंग्लिकन अलायन्स

पाउलो युति
एंग्लिकन अलायन्स व एंग्लिकन कम्यूनियन ऑफिस, ब्राज़ील

मार्था जार्विस
लैम्बेथ पैलेस, यूके

एंड्रू खू
वकील एवं अधिवक्ता, मलेशिया

सैली स्मिथ
सलाहकार, यूके

तागोलीन काबेकाबे
एंग्लिकन अलायन्स , सोलोमन आइलैंड

रॉब डावेस
मदर्स यूनियन, यूके

नाओमी हर्बर्ट
मदर्स यूनियन, यूके

प्रांतीय समुदाय विकास समन्वयक
मदर्स यूनियन, र्वल्डवाइड

एस्थर स्वीटमन
रेस्टोरेड, यूके

रेव्ह कैरोल ह्यूज़
आई ए डब्ल्यू एन सदस्य , न्यूजीलैंड

रेव्ह लिज़्ज़ी ग्रीन
आई ए डब्ल्यू एन सदस्य , यूके

रेव्ह कैनन डॉक्टर हेलेन वैन कोएवेरिंग
आई ए डब्ल्यू एन सदस्य, यूएसए

प्रकाशन : एंग्लिकन कंसल्टेटिव कौंसिल एवं दी एंग्लिकन अलायन्स
संत एंड्रू हाउस
16 ताविस्तोक क्रिसेंट
लंदन W11 1AP
यूनाइटेड किंगडम

www.anglicancommunion.org
www.anglicanalliance.org

सामग्री का श्रेय मूल लेखक व प्रकाशक को देते हुए कोई भी इस सामग्री की प्रतियां बनाने को स्वतंत्र है।

© 2020 The Anglican Consultative Council and The Anglican Alliance

ध्यान दें : इस सामग्री में प्रयुक्त सभी फोटो एक लाइसेंस प्राप्त फोटो स्टॉक से ली गयी हैं। फोटो में दिखाए गए सभी लोग मॉडल हैं।

ISBN: 978-1-913863-11-1